

कार्यालय अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रियाकलाप

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर -02

पत्रांक: 482/शैक्षिक/दि0श0प0/2025

दिनांक: अगस्त 14, 2025

:: सूचना ::

द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत बी0टेक0 छात्रों के शाखा परिवर्तन सम्बन्धी

विश्वविद्यालय के बी0टेक0 अध्यादेश के अनुरूप बी0टेक0 प्रथम वर्ष में शैक्षिक सत्र 2024-25 में प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्राओं को बिना कैरीओवर के बी0टेक0 प्रथम वर्ष की परीक्षा विगत वर्ष में उत्तीर्ण कर द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत होने पर उनके बी0टेक0 प्रथम वर्ष के प्राप्तांक के आधार पर शाखा परिवर्तन अनुमन्य किया जाना है। इस सन्दर्भ में बी0टेक0 अध्यादेश में की गई व्यवस्था निम्नवत है:

1. आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्रा उनसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी एवं सामान्य अनारक्षित सीटों पर शाखा परिवर्तन हेतु अर्ह होंगे।
2. Economically Weaker Section (EWS) वर्ग के छात्र-छात्रा EWS श्रेणी की रिक्त सीटों के साथ-साथ सामान्य अनारक्षित सीटों पर शाखा परिवर्तन हेतु अर्ह होंगे।
3. Tuition Fee Waiver (TFW) प्राप्त छात्र-छात्रा रिक्त TFW सीटों पर शाखा परिवर्तन कर सकेंगे। अन TFW सीटों के अतिरिक्त अन्य रिक्त सीटों पर शाखा परिवर्तन इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि उन्हें प्राप्त शिक्षण शुल्क में दी गई छूट समाप्त कर दी जायेगी। TFW छात्र-छात्रा यदि किसी आरक्षित श्रेणी के हैं तो उक्त आरक्षित श्रेणी के साथ-साथ सामान्य अनारक्षित रिक्त सीटों पर भी शाखा परिवर्तन कर सकते हैं।
4. शाखा परिवर्तन हेतु रिक्तियों के आंगणन हेतु स्पेशल कैरीओवर परीक्षा परिणाम को आधार माना जाये। प्रथम वर्ष के किसी भी विषय में कैरी ओवर आने पर छात्र शाखा परिवर्तन हेतु अर्ह नहीं होगा।
5. शाखा परिवर्तन किये जाने के उपरान्त किसी भी शाखा में अभातशिप (AICTE) द्वारा अनुमन्य सीटों की संख्या से न तो अधिक छात्र होंगे और न ही 75 प्रतिशत से कम छात्र होंगे। साथ ही यदि प्रथम वर्ष में किसी विधा में कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या ही 75 प्रतिशत से कम है तो उस विधा से मेरिट के आधार पर टॉपर छात्र-छात्रा को शाखा परिवर्तन हेतु अर्ह माना जायेगा।
6. 01 से अधिक छात्रों का प्रथम वर्ष का YGPA समान होने की दशा में छात्र की प्रवेशित JEE (Mains) 2024 CRL Rank के आधार पर वरियता प्रदान की जायेगी।

बी0टेक0 पाठ्यक्रम की विभिन्न शाखाओं के अन्तर्गत संवर्ग विशेष में वर्तमान में उपलब्ध रिक्तियाँ (दिनांक अगस्त 08, 2025 को आधार मानते हुये) का विवरण निम्नवत् है:

TENTATIVE VACANT SEAT IN "HOME STATE"

SR. NO.	BRANCH	GEN	OBC	SC	ST	EWS	TFW	TOTAL
1	Biochemical Engineering	2	0	5	0	1	1	9
2	Civil Engineering	0	0	0	0	0	0	0
3	Chemical Engineering	0	0	1	0	1	0	2
4	computer Science & Engineering	2	0	0	0	0	0	2
5	Electrical Engineering	0	0	0	0	0	0	0
6	Electronics Engineering	5	2	0	0	0	1	8
7	Food Technology	0	0	1	0	0	2	3
8	Information Technology	2	2	2	1	1	0	8
9	Leather Technology	5	6	5	1	0	1	18
10	Mechanical Egnieering	1	2	0	0	0	0	3
11	Oil Technology	0	0	0	0	0	0	0
12	Plastic Technology	0	0	0	0	1	1	2
13	Paint Technology	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL		18	12	14	2	4	6	56

TENTATIVE VACANT SEAT IN "ALL INDIA"

SR. NO.	BRANCH	GEN	OBC	SC	ST	TOTAL
1	Biochemical Engineering	1	1	1	0	3
2	Civil Engineering	0	1	0	0	1
3	Chemical Engineering	2	0	0	0	2
4	Computer Science & Engineering	0	0	0	0	0
5	Electrical Engineering	1	0	0	0	1
6	Electronics Engineering	1	0	0	0	1
7	Food Technology	1	1	1	0	3
8	Information Technology	0	0	0	0	0
9	Leather Technology	1	0	0	0	1
10	Mechanical Engineering	0	0	0	0	0
11	Oil Technology	1	1	1	0	3
12	Plastic Technology	0	0	0	0	0
13	Paint Technology	0	0	1	0	1
TOTAL		8	4	4	0	16

- नोट:** 1. उक्त रिक्तियाँ विश्वविद्यालय से कराये गये प्रवेश निरस्त एवं दिनांक 08.08.2025 को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्राप्त छात्रों का परीक्षा परिणाम (टी0आर0 एवं ई0आर0पी0) के अनुसार ही रिक्तियाँ प्रदर्शित की गई है। रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है।
2. अन्य प्रदेशों से सम्बन्धित छात्र केवल All india सीट हेतु अर्ह होंगे।

उक्त रिक्तियाँ विगत शैक्षिक सत्र अथवा उससे पूर्व के छात्रों के पुनर्प्रवेश (Readmitted Student) से परिवर्तित हो सकती है। छात्रों को शाखा परिवर्तन अनुमन्य किये जाने के कारण उपरोक्त इंगित रिक्तियों में अभिवृद्धि, उन शाखा सह संवर्गों में भी हो सकती हैं, जिनमें रिक्तियों इंगित नहीं है।

अतः छात्र उन समस्त शाखाओं, जिसमें वह शाखा परिवर्तन के इच्छुक हो, का विकल्प अपने आवेदन में उल्लिखित शाखा वरीयता (Preferance) में अवश्य इंगित करें। एक बार शाखा परिवर्तन अनुमन्य किये जाने के उपरान्त किसी भी स्थिति में शाखा परिवर्तन बदला या वापस नहीं लिया जा सकेगा। इच्छुक छात्र अपना आवेदन दिनांक अगस्त 14, 2025 विश्वविद्यालय के ई0आर0पी0 पोर्टल में स्टूडेंट लागिन के माध्यम से विलम्बतम् दिनांक अगस्त 19, 2025 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् शाखा परिवर्तन का कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

शाखा परिवर्तन के लिये आवेदन करने वाले छात्रों की सूची उनके प्राप्तांक एवं विकल्प के विवरण सहित छात्रों के सन्दर्भ के लिये अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रियाकलाप के सूचना पट्ट एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक अगस्त 20, 2025 को प्रदर्शित कर दी जायेगी। आवेदक छात्र के प्राप्तांक के सन्दर्भ में किसी भी त्रुटि को आवेदक सहित किसी छात्र द्वारा इंगित करना हो तो वह दिनांक अगस्त 21, 2025 को उपरान्त अपरान्त 02:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को इसका लिखित प्रत्यावेदन दे सकता है। दिनांक अगस्त 23, 2025 तक छात्रों के आवेदन के आधार पर अनुमन्य किये गये शाखा परिवर्तन का आदेश अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रियाकलाप के सूचना पट्ट एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

शाखा परिवर्तन का आवेदन करने के उपरान्त उसे वापस लेने या विकल्प में परिवर्तन करने इत्यादि का कोई भी अनुरोध किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा। छात्र के आवेदन के आधार पर आवंटित परिवर्तित शाखा में अध्ययन करना अनिवार्य होगा। अतः सभी छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि शाखा परिवर्तन सम्बन्धी आवेदन पूर्ण रूप से विचार करने के उपरान्त ही पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।



(प्रो0 ललित कुमार सिंह)

अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप

प्रतिलिपि निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, एच0बी0टी0यू0 कानपुर।
- अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, एच0बी0टी0यू0, कानपुर।
- सिस्टम मैनेजर, एच0बी0टी0यू0 कानपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- विशेष कार्याधिकारी, कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

(प्रो0 ललित कुमार सिंह)

अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप